



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12112020-223051  
CG-MH-E-12112020-223051

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942

No. 484]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

भारतीय रिजर्व बैंक

(सरकारी और बैंक लेखा विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 11 नवम्बर, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 22, 22 (क) और (ख) और विनियम 23 (v) में संशोधन

फ. सं. डीजीबीए/ डीबीए/ सं 342/62.01.033/2020-21- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 में आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस विनियमावली को भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य (संशोधित) विनियमावली, 1949 कहा जाएगा।
- (2) यह भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 में –
  - विनियम 22 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**22. लेखों का वार्षिक विवरण: -**

केंद्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष मार्च माह के अंतिम कार्यदिवस पर बैंक के बहियों का समतुलन करेगा और वार्षिक लेखे निम्नानुसार जारी किये जाएंगे:

(क) तुलनपत्र जो निम्नलिखित रूप में होगा और जिसमें निर्दिष्ट ब्यौरे निहित हों, अर्थात् :-

**भारतीय रिजर्व बैंक**  
31 मार्च..... का तुलनपत्र

देयताएं	अनुसूची	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	आस्तियां	अनुसूची	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष
पूंजी आरक्षित निधि अन्य आरक्षित निधियाँ				<b>बैंकिंग विभाग की आस्तियां (बैंवि)</b> नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के सोना — बैंवि			
जमाराशियाँ				निवेश - विदेशी - बैंवि			
<b>जोखिम प्रावधान</b>				निवेश - घरेलू - बैंवि			
• आकस्मिकता निधि • आस्ति विकास निधि				खरीदे और भुनाये गए विल			
पुनर्मूल्यांकन खाते				ऋण और अग्रिम			
अन्य देयताएँ				समनुषंगी संस्थाओं में निवेश अन्य आस्तियां			
<b>निर्गम विभाग की देयताएँ</b>				<b>निर्गम विभाग की आस्तियां (निवि)</b> (जारी नोटों के समर्थन के तौर पर)			
जारी किए गए नोट				सोना - निवि रुपया सिक्का निवेश - विदेशी - निवि निवेश - घरेलू - निवि घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक पत्र			
<b>कुल देयताएँ</b>				<b>कुल आस्तियां</b>			

मुख्य महाप्रबंधक

उप गवर्नर

उप गवर्नर

उप गवर्नर

उप गवर्नर

गवर्नर

(ख) वर्ष के लिए आय विवरण जो निम्नलिखित रूप में हों और इसमें निर्दिष्ट व्यौरे निहित हों, अर्थात् :-

**भारतीय रिजर्व बैंक**

31 मार्च.....को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आय	अनुसूची	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष
ब्याज अन्य आय			
<b>कुल</b>			
<b>व्यय</b>			
नोटों का मुद्रण मुद्रा के प्रेषण पर व्यय एजेंसी प्रभार कर्मचारी लागत ब्याज डाक और संचार प्रभार मुद्रण और लेखन-सामग्री किराया, कर, बीमा, बिजली आदि मरम्मत और रखरखाव निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और व्यय लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय विधि प्रभार मूल्यहास विविध व्यय प्रावधान			
<b>कुल</b>			
<b>उपलब्ध शेष राशि</b> घटाएं:			
<b>(क) निम्नलिखित में अंशदान:</b> (i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि (ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि			
<b>(ख) नाबार्ड को अंतरणीय:</b> (i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि <sup>1</sup> (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि <sup>1</sup>			
<b>(ग) अन्य (मुख्य मदों का विवरण दें)</b>			
<b>केंद्र सरकार को देय अधिशेष</b>			

<sup>1</sup>ये निधियाँ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के द्वारा अनुरक्षित होती हैं।

मुख्य महाप्रबंधक

उप गवर्नर

उप गवर्नर

उप गवर्नर

उप गवर्नर

गवर्नर

(ii) विनियम 23 में, खण्ड (v) के लिए निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) अधिनियम की धारा 53 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित खाते में मदों को निकटतम करोड़ रूपए में प्रस्तुत किए जाएंगे। ”

सुधा बालकृष्णन, मुख्य वित्तीय अधिकारी

[विज्ञापन.-III/4/असा./345/2020-21]

**नोट :-** मुख्य विनियम 1949 में तैयार किए गए थे, तब इन्हें आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। 19 दिसंबर 1988 की अधिसूचना सं 93 के माध्यम से 1988 के अधिनियम सं 66 की धारा 6 के द्वारा 30-12-1988 से आधिकारिक गजट में अधिसूचित करने संबंधी को शामिल किया गया और इनमें अंतिम संशोधन 3 जुलाई 2015 की अधिसूचना सं. डी जी बी ए/ अकाउंट्स/ बी ए ए एस सं. 18/62.01.022/2015-16 के माध्यम से किया गया था और 8 जुलाई 2015 की अधिसूचना सं. डी जी बी ए/ अकाउंट्स/ बी ए ए एस सं. 129/62.01.022/2015-16 के माध्यम से किया गया था।

## RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Government and Bank Accounts)

### NOTIFICATION

Mumbai, the 11th November, 2020

#### Amendment to Regulation 22, 22 (a) and (b) and Regulation 23 (v) of RBI General Regulations, 1949

**F. No. DGBA/DBA/No 342/62.01.033/2020-21.**—In exercise of the powers conferred by section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Reserve Bank of India General (Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, —

(i) for regulation 22, the following regulation shall be substituted namely:-

**22. Annual statement of accounts** - The Central Board shall cause the books of the Bank to be balanced on the last working day of the month of March in each year and the annual accounts shall be set out as follows:-

(a) a Balance Sheet in the following form and containing the particulars, namely: -

#### RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET AS ON MARCH 31.....

(Amount in ₹ crore)

Liabilities	Sched ules	Previ ous year	Current year	Assets	Sched ules	Previ ous year	Current year
Capital				<b>Assets of Banking Department (BD)</b>			
Reserve fund				Notes, rupee coin, small coin			
Other reserves				Gold — BD			

Deposits				Investments —Foreign — BD			
Risk Provisions				Investments —Domestic — BD			
• Contingency Fund							
• Asset Development Fund				Bills purchased and discounted			
Revaluation Accounts				Loans and advances			
Other Liabilities				Investment in subsidiaries			
				Other assets			
<b>Liabilities of Issue Department</b>				<b>Assets of Issue Department (ID)</b>			
Notes issued				<b>(As backing for Notes issued)</b>			
				Gold — ID			
				Rupee coin			
				Investments —Foreign — ID			
				Investments —Domestic — ID			
				Domestic bills of exchange and other commercial papers			
<b>Total Liabilities</b>				<b>Total Assets</b>			

Chief General  
ManagerDeputy  
GovernorDeputy  
GovernorDeputy  
GovernorDeputy  
Governor

Governor

(b) an Income Statement for the year, in the following form and containing the particulars, namely: —

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31.....**

(Amount in ₹ crore)

INCOME	Schedules	Previous year	Current year
Interest			
Other income			
<b>Total</b>			
EXPENDITURE			
Printing of Notes			
Expenditure on Remittance of Currency			
Agency charges			
Employee cost			
Interest			
Postage and Telecommunication Charges			
Printing and Stationery			
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.			
Repairs and Maintenance			
Directors' and Local Board Members' Fees and Expenses			

Auditors' Fees and Expenses			
Law Charges			
Depreciation			
Miscellaneous Expenses			
Provisions			
<b>Total</b>			
<b>Available Balance</b>			
Less:			
<b>(a) Contribution to:</b>			
(i) National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund			
(ii) National Housing Credit (Long Term Operations) Fund			
<b>(b) Transferable to NABARD:</b>			
(i) National Rural Credit (Long Term Operations) Fund <sup>1</sup>			
(ii) National Rural Credit (Stabilisation) Fund <sup>1</sup>			
<b>(c) Others</b> (specify major items)			
<b>Surplus payable to the Central Government</b>			

<sup>1</sup>These funds are maintained by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

Chief General Manager      Deputy Governor      Deputy Governor      Deputy Governor      Deputy Governor      Governor

(ii) in regulation 23, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely: —

(v) the items in the account prescribed by the Central Government under section 53 of the Act shall be presented in nearest crore rupees.

SUDHA BALAKRISHNAN, Chief Financial Officer

[ADVT.-III/4/Exty./345/2020-21]

**Note:** The principal regulations were made in 1949 when there was no requirement to notify in the Official Gazette. The requirement to notify the regulations was inserted by section 6 of Act No. 66 of 1988 with effect from 30<sup>th</sup> December, 1988 *vide* notification number 93 dated 19<sup>th</sup> December, 1988 and were last amended *vide* notification number DGBA/Accts/ BAAS No. 18/62.01.022/2015-16, dated the 3<sup>rd</sup> July, 2015 and notification number DGBA/Accts/ BAAS No. 129/62.01.022/2015-16, dated the 8th July, 2015.